

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-31 के तहत बिहार विधान सभा में राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना (नेवा) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित शेष राशि ₹60,39,000/- (साठ लाख उनतालीस हजार रुपये) मात्र तथा राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट उपबंधित शेष राशि ₹9,84,000/- (नौ लाख चौरासी हजार रुपये) मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश : स्वीकृत।

विधान मंडल कार्य प्रणाली को डिजिटल किये जाने हेतु संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना (नेवा) पोर्टल तैयार किया गया है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय ई-विधान परियोजना (नेवा) का बिहार विधान सभा सचिवालय में क्रियान्वयन किया जाना है।

2. यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इसके अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3. वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश मद में ₹3,83,00,000/- (तीन करोड़ तिरासी लाख रुपये) मात्र एवं राज्यांश मद में ₹95,59,000/- (पंचानवे लाख उनसठ हजार रुपये) मात्र को विभागीय स्वीकृति आदेश सं0-95, दिनांक-14.10.2025 के द्वारा विमुक्त किया गया। पुनः वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश मद में ₹28,000/- (अट्ठाईस हजार रुपये) मात्र एवं राज्यांश मद में ₹1,59,93,000/- (एक करोड़ उनसठ लाख तिरानवे हजार रुपये) मात्र को विभागीय स्वीकृति आदेश सं0-119, दिनांक-29.12.2025 के द्वारा विमुक्त किया गया। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश मद में कुल ₹3,83,28,000/- एवं राज्यांश मद में ₹2,55,52,000/- की राशि बिहार विधान सभा सचिवालय को आवंटित की गयी।

4. बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्र सं0-854, दिनांक-04.05.2026 द्वारा द्वितीय किस्त के केन्द्रांश एवं राज्यांश की आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक खर्च नहीं होने के कारण व्यपगत हो गयी राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश मद में कुल आवंटित राशि के द्वितीय किस्त की शेष राशि ₹60,39,457 के विरुद्ध हजार के गुणक में ₹60,39,000/- (साठ लाख उनतालीस हजार रुपये) मात्र तथा राज्यांश मद में द्वितीय किस्त की शेष राशि ₹9,84,482 के विरुद्ध हजार के गुणक में ₹9,84,000/- (नौ लाख चौरासी हजार रुपये) का आबंटन किया जाना है। वित्त विभाग के पत्रांक-314, दिनांक-01.04.2026 के द्वारा केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश एवं राज्यांश मद) में बजट प्रावधानित राशि का व्यय नियमानुसार करने हेतु निदेशित किया गया है।

6. उक्त के आलोक में नेवा के अन्तर्गत केन्द्रांश के कार्यालय व्यय मद में बजट उपबंध के अधीन निम्नवत् राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

केन्द्रांश

क्र0सं0	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	केन्द्रांश
(1.)	मुख्य शीर्ष 2011 (संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) उप मुख्य शीर्ष-02 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) लघु शीर्ष 101 (विधान सभा) उप शीर्ष 0201-नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (एन0ई0वी0ए0) विपत्र कोड-31-2011021010201 विस्तृत शीर्ष 13-कार्यालय व्यय विषय शीर्ष-01 कार्यालय व्यय	₹60,39,000/-
	कुल :-	₹60,39,000/-

7. उक्त के आलोक में नेवा के अन्तर्गत राज्यांश के कार्यालय व्यय मद में बजट उपबंध के अधीन निम्नवत् राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

राज्यांश

क्र०सं०	मद एवं विपत्र कोड (विषय शीर्ष सहित)	राज्यांश
(1.)	मुख्य शीर्ष 2011 (संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) उप मुख्य शीर्ष-02 (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल) लघु शीर्ष 101 (विधान सभा) उप शीर्ष 0301-नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीओ) विपत्र कोड-31-2011021010301 विस्तृत शीर्ष 13-कार्यालय व्यय विषय शीर्ष-01 कार्यालय व्यय	₹9,84,000/-
	कुल :-	₹9,84,000/-

8. नेवा के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में कुल शेष स्वीकृत राशि ₹60,39,000/- (साठ लाख उनतालीस हजार रुपये) मात्र तथा राज्यांश मद में कुल स्वीकृत राशि ₹9,84,000/- (नौ लाख चौरासी हजार रुपये) की निकासी विभागीय मांग संख्या-31 के अन्तर्गत उपरोक्त सारणी के कॉलम-02 में अंकित बजट शीर्षों के अन्तर्गत की जायेगी।

9. स्वीकृत राशि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत नेवा के क्रियान्वयन पर व्यय की जानी है, फलस्वरूप वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888, दिनांक-03.12.2024 में निहित प्रावधान के आलोक में बजट उपबंधित राशि की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम है।

10. सचिव/प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना इस परियोजना हेतु नियंत्री पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3327, दिनांक-31.03.2019 के आलोक में अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना (DDO CODE - LEG002) द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंवाई भवन, पटना में किया जायेगा तथा उपयोगिता/व्यय प्रमाण पत्र भारत सरकार, नई दिल्ली; वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे।

11. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत आदेशों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राशि व्यय की जायेगी।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि०(2), दिनांक-05.10.2007 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार के प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

14. वित्त विभाग द्वारा परामर्शित है।

15. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-02/2023-...../ पटना, दिनांक-.....2026

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंवाई भवन, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-1 / वि0मं0(सत्र)01-02 / 2023-..... / पटना, दिनांक-.....2026
प्रतिलिपि-उप सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-1 / वि0मं0(सत्र)01-02 / 2023-25 / पटना, दिनांक-10.06.....2026
प्रतिलिपि-सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना / प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा / लेखा-शाखा, बिहार विधान सभा /
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान सभा, पटना / निकासी एवं व्ययन
पदाधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना / लेखा शाखा, संसदीय कार्य विभाग, बिहार,
पटना / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, संसदीय कार्य विभाग / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के
आप्त सचिव / सचिव, संसदीय कार्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / बजट शाखा (प्रशाखा-02),
संसदीय कार्य विभाग / आईटी मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


10/06/2026

सरकार के अपर सचिव।

(6)